(c) Annual Accounts of the Indian Statistical Institute, Calcutta, for the year 1997- 98, and the Audit Report thereon.

[Placed in Library *see* no. LT-2300/A/ 98]

(ii) (a) Second Annual Report and Accounts of the Construction Industry Development Council, New Delhi, for the year 1997-98, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

[Placed in Library *see* no. LT-1870 / 98]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the Regional Computer Centre, Chandigarh, for the year 1997-98, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library *see* no. LT-1932 / 98]

(iv) (a) Annual Plan for the year 1997-98.

(b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library *see* no. LT-1871 / 98]

Report and Accounts (1997-98) of Broadcast Engineering Consultants India Ltd., Noida (Uttar Pradesh) and related papers.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

(i) 1997-98 के वर्ष के लिए ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेन्ट इंडिया लि., नोएडा (उत्तर प्रदेश), का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ii) उपर्युक्त कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1724/98]

I. Reports and Accounts (1993-94 to 1997-98) of varsious Agro Industries Corporations Limited Liquidator's Statement of Accounts and Audit Report on the Report and Accounts of Madhya Pradesh State Dairy Development Corporation Ltd. and related papers.

II. Reports and Accounts (1997-98) of National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board Gurgaon (Haryana) and Brahmaputra Board Guwahati and related papers

III. Notifications of the Ministry of Agriculture and Ministry of Water Resourses.

IV. Reports and Accounts (1997-98) of various National Federation of Corporation Banks, Labour Co-operative, NAFED, National Water Development Agency and National Institute of Hydrology and related papers.

V. Memorandum of Understanding between Govt. of India and Water and Power Consultancy Services (India) Limited.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

I (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) (क) 1993-94 के वर्ष के लिए गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1887/98]

(ii) (क) 1994-95 के वर्ष के लिए गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद का पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख)उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई।देखिए संख्या एल.टी. 1888 / 98]

(iii) (क) 1995-96 के वर्ष के लिए गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1889 / 98]

(iv) (क) 1994-95 के वर्ष के लिए केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनन्तपुरम का सत्ताईसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1883 / 98]

(v) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ का इकत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1885 / 98]

(vi) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए तमिलनाडु एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का इकतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1886 / 98]

(vii) (क) 1995-96 के वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का उनतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1884 / 98]

(viii) (i) 1997-98 के वर्ष के लिए मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं पर समापक लेखा विवरण और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ii) 1997-98 के वर्ष के लिए मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के समापक लेखाओं, लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

(2) ऊपर (I) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1890 / 98]

II. (1) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 14 की उपधारा(4) और धारा 16 की उपधारा(4) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):

(i) 1997-98 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड गुड़गांव, (हरियाणा) का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ii) उपर्युक्त बोर्ड के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1894 / 98]

(2) ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम 1980 की धारा 21 के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):

(क) 1997-98 के वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1898 / 98]

III. (1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन रबि मौसम, 1998-99 के दौरान विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और चाय बोर्ड के घरेलू उर्वरक विनिर्माताओं द्वारा की जाने वाली उर्वरक आपूर्ति के संबंध में कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना का. आ. 871(अ), दिनांक 30 सितंबर, 1998 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2392 / 98]

(2) अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6(क) की उपधारा (7) के अधीन कावेरी जल (1991 के आदेश तथा अधिकरण के सभी पश्चातवर्ती संबंधित आदेशों का कार्यान्वयन) स्कीम, 1998 को प्रकाशित करने वाली जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 675 (अ), दिनांक 11 अगस्त, 1998 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1899 / 98]

(IV) निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में):-

(i) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नावी, मुम्बई का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त फेडरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1897 / 98]

(ग) 1997-98 के वर्ष के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नावी, मुम्बई के वार्षिक लेखे और उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1898 / 98]

(ii) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ अरबन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त फेडरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) 1997-98 के वर्ष के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ अरबन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1896 / 98]

(iii) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ लेबर कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त फेडरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1893 / 98]

(iv) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए नेशनल एग्रीकल्चर कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड), नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त फेडरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1892 / 98]

(v) (क) 1997-98 के वर्ष के लए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2393 / 98]

(vi) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ हाइड्रोलोजी, रूड़की का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2394/ 98]

(v) 1998-99 के वर्ष के लिए भारत सरकार (जल संसाधन मंत्रालय) और वाटर एण्ड पावर कंसल्टेन्सी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के बीच संपन्न सहमति ज्ञापन।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1900/ 98]

I Reports and Accounts (1997-98) of Telecommunications related companies and related papers.

II Memoranda of Understanding between Govt. of India and I.T.I. Limited and HTL Limited.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA) Sir, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) (a) Thirty-seventh Annual Report and Accounts of the HTL Limited, Chennai, for the year 1997-98, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library *see* no. LT-2331 / 98]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Videsh Sanchar Nigam Limited, Mumbai, for the year 1997-98, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Nigam.

[Placed in Library *see* no. LT-2395 / 98]

(iii) (a) Twentieth Annual Report and Accounts of the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi, for the year 1997-98, together with the Auditors Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of above Company.

[Placed in Library *see* no. LT-1872 / 98]

(iv) (a) Forty-eighth Annual Report and Accounts of the ITI Limited, Bangalore, for the year 1997-98, together with the Auditors Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library *see* no. LT-1874 / 98]

(v) (a) Annual Report and Accounts of the Mahanager Telephone Nigam Limited, New Delhi, for the year 1997-98, together with the Auditor's Report on the Account and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of above Nigam.

[Placed in Library *see* no. LT-1873 / 98]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Memorandum, of Understanding between the Government of India (Ministry of Communications, Department of Telecommunications) and ITI Limited for year 1998- 99.

[Placed in Library *See* No. LT-2396 / 98]